न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 47/2015

हरचन्द पुत्र नेतराम जाति माली निवासी गोपालगढ (मृतक)

1/1 बच्चू सिंह

1/2 जगन पिसरान हरचन्द

1/3 मुथरी पत्नि हरचन्द जाति माली निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र नत्थी जाति माली निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी
2. सुधेश पत्नि प्रेमसिंह
3. उमेश पत्नि लक्ष्मन सिंह जाति जाट
4. गीता पत्नि गजेन्द्र सिंह जाति ब्राह्मण निवासीयान गोपालगढ तहसील पहाडी

असल अप्रार्थीगण

5. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोपालगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी

फौरमल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :–20/05/2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 709/0.15, 710/0.15, 738/0.14, 412/0.11, 413/0.12, 1030/0.37, 1041/0.58, 1056/0.36, 1071/0.71, किता–9 रकबा 2.68 हैक्टर बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में स्थित है आराजी पूर्व में प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बाबा नेतराम की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी थी नेतराम के तीन पुत्र क्रमशः हरचन्द प्रार्थी एवं जोरमल तथा नत्थी पिता अप्रार्थी संख्या 1 पैदा हुये जो आराजी मुतदाविया पर अपने पिता नेतराम के साथ संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है नेतराम ने आज से करीब 30–35 साल पूर्व आराजी का पारिवारिक विभाजन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नत्थी व जोरावर के बीच इस प्रकार कर दिया था कि आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 709/0.15, 710/0.15, 738/0.14, 712/0.11, 713/0.12, सालिम व आराजी खसरा नम्बर 1071/0.71 में से 0.25 हैक्टर आराजी प्रार्थी हरचन्द के हिस्से व शेष नम्बरान 1030/0.31, 1041/0.58 हैक्टर आराजी सालिम नम्बरान व खसरा नम्बर 1071/0.71 में से 0.46 हैक्टर आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नत्थी व जोरावर को वाहिस्सा बराबर बट लिये थे जोरावर की शादी हुई थी परन्तु उसकी पत्नि शादी के दो–तीन साल बाद जोरावर को छोडकर दूसरी जगह चली गई थी इसके बारे में अब कही किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। जोरावर की पत्नि को छोडकर चले जाने के पश्चात जोरावर अपने भाई नत्थी के

Scanned with OKEN Scanner

साथ रहने लग गया जो काफी दिनों तक अप्रार्थी संख्या 1 के साथ सम्मलित रूप से रहकर उसके साथ काश्त करता रहा जोरावर ने अपनी आराजी में से अपने हिस्से का हकत्याग भी अप्रार्थी संख्या 1 के व उसकी माता रामप्यारी के हक में कर दिया है। जिसके आधार पर जोरावर के हिस्से के आराजी पहले अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी मां रामप्यारी के हक में और अब रामप्यारी के देहान्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल सिंह के हक में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो रहा है। इस प्रकार नत्थी के दो पुत्रियां गिर्राजी व रघुवीरा ने भी अपने हिस्से का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 1 गोपाल सिंह व उसकी मां रामप्यारी के हक में कर दिया है। रामप्यारी का देहान्त होने के पश्चात अब आराजी मुतदाविया में से प्रार्थी 1/3 हिस्से का व गोपालसिंह 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और प्रार्थी अपने पारिवारिक हिस्से आये आराजी खसरा नम्बरान पर आज तक बदस्तूर काबिज एवं काश्त करता चला आ रहा है। नेतराम द्वारा अपनी आराजी का 30–35 साल पूर्व अपने पुत्रों में विभाजन करने के पश्चात हरचन्द प्रार्थी के हिस्से में जो आराजी आई थी जिसमे प्रार्थी हरचन्द आराजी खसरा नम्बर 709/0.15, 710/0.15, 738/0.14, के तीन नम्बरों के रकबे को मिलाकर अपनी काश्त कर रहा है और इन नम्बरों के कुछ रकबे में से अपना रिहायशी मकान बना रखा है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 412, 413 के सम्पूर्ण रकबे को भी प्रार्थी द्वारा मिलाकर एक कर रखा है और खसरा नम्बर 1071 में से 0.25 हैक्टर भूमि प्रार्थी के हिस्से व कब्जे में है तथा शेष 0.46 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से व कब्जे में है उसमें बीच में एक डौल बनी चली आ रही है जो शेष नम्बरान 1030, 1041, 1056 सालिम रकबे पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त वाहिद रूप से चला आ रहा है। वादी प्रार्थी ने अपने पिता नेतराम द्वारा पारिवारिक बंटवारे के आधार पर आराजी मुतदाविया का बंटवारा करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी मां रामप्यारी से कहा था परन्तु वह टालम टोल करते रहे और इसी बीच अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी मां रामप्यारी ने आराजी खसरा नम्बर 1056 में से 2/3 हिस्से को व खसरा नम्बर 1030 में से 1/3 हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में बेचान कर दिया । इस प्रकार प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माँ से आराजी मुतदाविया का बंटवारा करने को कहा परन्तु उन्होने साफ इंकार कर दिया। उक्त दावा में दिनांक 01/06/2009 को वादी व गैरसायल संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर दिया जिसमें मुताबिक पारिवारिक बंटवारे में आये नम्बरान के मुताबिक आपस में राजीनामा कर लिया और यह दावा फिर तारीख पेशियों पर चलता रहा इस मुकदमें में डिक्री बनने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 ने बदयान्ती से प्रार्थी को बहला फुसलाकर दावा को विड्रो प्रार्थना पत्र पेश कराकर दावा में नियत तारीख दिनांक 24/06/2015 को विड्रो करा दिया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच में जो राजीनामा हुआ था वह न्यायालय में रिकॉर्ड पर पेश है। इसके अलावा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच कोई भी राजीनामा नही हुआ और आज तक भी इस राजीनामा के अति0 कोई भी राजीनामा गांव वालो ने नहीं कराया । अप्रार्थी संख्या 1 ने बदयान्ती से प्रार्थी के उसके बंटवारे दावा विड्रो कराने के पश्चात प्रार्थी के कब्जे काश्त में आये खसरा नम्बर 710, 738 में से 2/3 हिस्से का बेचान कतई गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 4 गीता देवी के हक में कर दिया जबकि इन नम्बरों पर 30–35 साल से बंटवारे के आधार पर प्रार्थी का कब्जा आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 29/06/2015 को अप्रार्थीगण से आराजी का बंटवारा करने को कहा परन्तु उन्होने पुनः साफ इंकार कर दिया व पूरी आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा पक्ष व सुविधा का सन्तुलन वाहक प्रार्थी वखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के हिस्से व बंट में आये हुये नम्बरान पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये । जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया के संबंध में पूर्व में कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ था अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज काश्त था व अपने हिस्से में आई आराजी खसरा नम्बर 710/0.15, 738/0.14 में से 2/3 हिस्से का बयनामा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में कराया जो सही व कब्जा भी मौके पर संभाल दिया था। तभी से उक्त खसरा नम्बरान पर अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है जो काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व में 30–35 साल पूर्व आराजी मुतदाविया का पारिवारिक बंटवारा होना दर्ज किया है प्रार्थी का आराजी में हित निहित है या नहीं यह तथ्य का निस्तारण मूल दावे में तनकी साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जावेगा। उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया है। अप्रार्थीगण आराजी का अन्य जगह बेचान कर देता है तो प्रार्थी को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है पूर्व में जारी टी0आई0 दिनांक 13/07/2015 को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner